आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 695 / 2025 अनवान *दीपाराम बनाम अनिल कुमार वगैरा*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 17.12.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलब कर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 8753 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 07.11.25 की पालना में स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करने के कम में दिनांक 25.12.25 को उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गई। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत कर इसकी पालना में प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कराने का आग्रह किया गया। जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.12.25 को प्रस्तुत ''जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र'' तथा इसके संलग्न फार्म नं0 3 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर, जवाब प्रा0प0 में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष सुनवाई कर, दिनांक 19.08.25 को इसका निस्तारण कर दिया था। जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा मा0 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी दिनांक 0711.25 को खारिज कर दी गई है तथा	

जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.25 की पालना में मौका फर्द दिनांक 10.12.25 के अनुसार वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी हो चुकी है। इस स्थिति में अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो चुके है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आऊ (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2025 बअनवान अनिल कुमार बनाम तहसीलदार आऊ वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 की पालना में मौका फर्द दिनांक 10.12.25 के अनुसार ग्राम चाड़ी के वादग्रस्त ख0नं0 2322/2301 की पत्थरगढ़ी सम्पन्न हो चुकी है। इस स्थिति में उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1-1-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

1/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर